कृषि की पढ़ाई कर युवा अपने लिए नए रास्ते बनाएं : सीएम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि युवा शक्ति को उन्नत खेती से जोड़ने, किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि उत्पादों के निर्यात पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है. बदलते दौर में खेती का भी समय बदला है. नई तकनीक और नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है. युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ा रहना आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि युवा कृषि संकाय की पढ़ाई कर अपने लिए भविष्य के लिए नए रास्ते बनाएं. किसान, वेयरहाउस, पॉली हाउस स्थापित करें. दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के साथ एमओयू किया गया है. मप्र को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना चाहती है. राज्य सरकार के प्रयासों से किसानों को अब दूध के दाम 8 से 10 रुपए प्रति लीटर अधिक मिलने लगे हैं.

उन्होंने यहां प्रदेश युवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिवर्ष एक लाख गिर नस्ल की बछिया तैयार करने की योजना शीघ्र ही क्रियान्वित की जाएगी, इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा. पशुपालकों को उन्नत नस्लें उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की है. किसान खेती के माध्यम से कई लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध करता है और प्रकृति की सेवा भी करता है. उन्होंने कृषि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, कृषि स्टार्ट-अप प्रतिनिधियों, एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंसर्स तथा कृषि क्षेत्र में नवाचार कर रहे व्यक्तियों से संवाद किया.

वन विभाग में खाली पदों को भरने के आदेश

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल, जंगल, वानस्पतिक संपदा और वन्यप्राणियों की रक्षा करने में वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने नैसर्गिक सुंदरता के साथ मध्यप्रदेश को वनों का अनुपम साम्राज्य दिया है. ये वन भारत और दुनियाभर में मध्यप्रदेश की पहचान हैं. हमारे वनकर्मी पूरी लगन से इसकी रक्षा करते हैं. प्रदेश के शासकीय सेवकों को पदोन्नति के फैसले का लाभ वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को भी मिला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन की सरकार है. सुशासन के लिए हर क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता जरूरी है. उन्होंने कहा कि पदोन्नति शासकीय सेवक का उसके काम के प्रति लगन और समर्पण का सम्मान है. वन विभाग के 4 हजार 506 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया गया है.

शराब का सेवन कर स्कूल पहुंचने वाला शिक्षक निलंबित

सागर. सागर संभागायुक्त अनिल सुचारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काछी पिपरिया, विकासखंड रहली में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक विजय सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कार्रवाई कलेक्टर सागर द्वारा प्रस्तुत नोटशीट एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई. कलेक्टर के प्रस्ताव के अनुसार शिक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहली के माध्यम से जांच कराई गई थी. जांच प्रतिवेदन में शिक्षक के शराब का सेवन कर विद्यालय पहुंचने, स्कूल का वातावरण दूषित करने तथा छात्र-छात्राओं को परेशान करने सहित अन्य अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्रमाणित पाई गईं.

तत्कालीन निरीक्षक समेत 4 पर केस

नव भारत न्यूज

इंदौर, 24 अगस्त. क्राइम ब्रांच में एक शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने और युवक को छोड़ने के एवज में 1.20 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में लोकायुक्त ने तत्कालीन निरीक्षक, एक ड्राइवर, एक तत्कालीन आरक्षक और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

फरियादी से 50,800 रुपए यूपीआई के जरिए निजी व्यक्ति को दिलवाए, जबकि 70 हजार रुपए नकद लेने का आरोप है.

लोकायुक्त ने शिकायत के साथ मिले तकनीकी साक्ष्यों के सत्यापन के बाद सोमवार को केस दर्ज किया. तुलसी नगर में रहने वाली प्रीति हजारी ने 2 अप्रैल को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी कि उनके बेटे प्रांजल हजारी को एक शिकायत के सिलसिले में क्राइम ब्रांच कार्यालय बुलाया था. आरोप है कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने और प्रांजल को छोड़ने के लिए तत्कालीन क्राइम ब्रांच निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव और अन्य लोगों ने 1.20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. शिकायत में बताया कि 20 मार्च को 50,800 रुपए यूपीआई के माध्यम से निजी व्यक्ति दीपक पटेल को ट्रांसफर करवाए गए और इसके बाद प्रांजल को छोड़ दिया था.

> आरोप है कि बाकी 70 हजार रुपए अगले दिन नकद लिए. शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त को लेन देन से जुड़े तकनीकी साक्ष्य भी उपलब्ध कराए थे. शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक ने इसका सत्यापन कराया. तकनीकी साक्ष्यों की जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद सोमवार को तत्कालीन निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव, क्राइम ब्रांच के ड्राइवर अभय सिंह, तत्कालीन आरक्षक विकास सेंधव और निजी व्यक्ति दीपक पटेल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मामले में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय ने नव भारत को बताया कि शिकायत के साथ उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों का सत्यापन कराया था, जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

चोरी : मूर्तियां-आभूषण बरामद

विशेष संवाददाता

भोपाल, 24 अगस्त. मध्यप्रदेश पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है.

सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट, वैज्ञानिक साक्ष्य, डॉग स्क्वॉड और तकनीकी विश्लेषण की मदद से पुलिस ने पांढुर्णा, छतरपुर, धार और बड़वानी में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए चोरी की मूर्तियां, आभूषण, नकदी और अन्य सामग्री बरामद की है.

पांढुर्णा में पुलिस ने सौसर क्षेत्र के तीन मंदिरों में हुई चोरी का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से भगवान पार्श्वनाथ की चार मूर्तियों सहित महावीर, आदिनाथ, नेमिनाथ, 24 तीर्थंकरों और बाहुबली की मूर्तियां बरामद की गईं. इसके अलावा अष्टधातु की मूर्तियां, मंदिर की घंटियां, मुकुट, दानपेटियां और करीब 56,849 रुपये नकद भी मिले.

रायसेन में मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप

हर बच्चे में प्रतिभा, सही मार्गदर्शन से मिलेगी सफलता : शिवराज

सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण

सरकारी स्कूल बनें बच्चों के सपनों का केंद्र

सांची/रायसेन, 24 अगस्त. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायसेन में मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए. उन्होंने सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण भी किया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि हर बच्चे में प्रतिभा और आगे बढ़ने की क्षमता है. जरूरत केवल आत्मविश्वास, सही मार्गदर्शन और मेहनत की है. प्रेम सुंदर मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को हर वर्ष लैपटॉप देकर प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि संसाधनों की कमी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल केवल भवन नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों को साकार करने के केंद्र बनने चाहिए. रायसेन का सांदीपनि विद्यालय 38 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है. यहां आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षाएं, खेल सहित विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

2 ट्रेनों में बदलेगी कोच संरचना

भोपाल, 24 अगस्त . यात्रियों की सुविधा और विभिन्न श्रेणियों में सीटों की मांग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल मंडल से संचालित दो जोड़ी ट्रेनों की कोच संरचना में बदलाव करने का निर्णय लिया है. नई व्यवस्था निर्धारित तिथियों से लागू होगी.

खातीपुरा-भोपाल-खातीपुरा ट्रेन संख्या 19712/19711 में खातीपुरा से 16 नवंबर और भोपाल से 17 नवंबर 2026 से नई कोच संरचना लागू होगी. ट्रेन में 1 फर्स्ट एसी, 2 सेकंड एसी, 5 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 6 स्लीपर, 4 साधारण श्रेणी और 2 पावरकार सहित कुल 22 कोच होंगे. इसी तरह जोधपुर-भोपाल-जोधपुर ट्रेन संख्या 14813/14814 में जोधपुर से 1 नवंबर और भोपाल से 2 नवंबर 2026 से बदलाव प्रभावी होगा. इसमें 1 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 6 स्लीपर, 4 साधारण श्रेणी, 1 पावरकार और 1 गार्ड कोच सहित कुल 18 कोच रहेंगे. रेलवे के अनुसार कोच संरचना में बदलाव से यात्रियों को उनकी जरूरत के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में यात्रा के अधिक विकल्प मिलेंगे.

यात्रियों को यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की अद्यतन कोच संरचना और सीट उपलब्धता की जानकारी अधिकृत रेलवे यात्री सेवा प्रणालियों से प्राप्त करने की सलाह दी गई है.

ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग शिक्षिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

मुरैना. जिले के सबलगढ़ कस्बे में एक महिला शिक्षिका ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सोमवार को परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना रविवार देर रात सबलगढ़ की गायत्री कॉलोनी की है, जहां शिक्षिका स्नेहलता उर्फ पिंकी त्रिवेदी का शव घर की रसोई में फांसी के फंदे पर लटका मिला. मृतका ग्राम जाबरोल स्थित स्कूल में पदस्थ थी, जबकि उसके पति अनिल त्रिवेदी ग्राम केमरा स्थित स्कूल में प्राचार्य हैं.

173 लैंडफिल में 73 लाख टन पुराना कचरा

200 एकड़ जमीन अब भी कचरे की जद में

सिटी रिपोर्टर

भोपाल, 24 अगस्त. राजधानी में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन वर्षों से जमा पुराने कचरे का बोझ अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.

प्रदेश के 173 लैंडफिल साइटों पर करीब 73 लाख टन लीगेसी वेस्ट जमा हुआ था.इसे हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसके बाद करीब 688 एकड़ जमीन खाली कराई जा चुकी है, लेकिन लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में अब भी कचरे के ढेर मौजूद हैं.सबसे बड़ी चुनौती भोपाल के आदमपुर लैंडफिल की है. यहां करीब 7.5 लाख टन पुराना कचरा जमा है. बायो-माइनिंग और निस्तारण का काम शुरू होने के बावजूद अब तक करीब 95 हजार टन कचरा ही प्रोसेस हो पाया है. यानी कुल जमा कचरे का लगभग 13 फीसदी ही अब तक निस्तारित हो सका है. इससे साफ है कि पुराने कचरे को हटाने की रफ्तार अभी काफी धीमी है. नगरीय प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश के 109 नगरीय निकायों में लीगेसी वेस्ट हटाने का काम चल रहा है, जबकि 74 निकायों में काम पूरा होने की रिपोर्ट दी गई है. इसके बावजूद 35 निकायों में पुराना कचरा पूरी तरह नहीं हट पाया है.

जमीन खाली हुई, लेकिन समस्या खत्म नहीं

आंकड़ों के मुताबिक पुराने कचरे को हटाने के बाद प्रदेश में करीब 688 एकड़ जमीन वापस उपयोग में लाई जा चुकी है, लेकिन करीब 200 एकड़ जमीन अभी भी कचरे के कब्जे में है .इसका मतलब है कि कचरा हटाने के बाद जमीन के पुन : उपयोग और पर्यावरणीय सुधार की चुनौती भी बनी हुई है .

स्वच्छ भारत मिशन के एमडी एवं नगरीय प्रशासन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त शिशिर गेमावत के अनुसार 109 निकायों में काम जारी है . कमियां चिन्हित कर ठेकेदारों को निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और लंबित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है .

पुलिस को मिले 8 उपकरण

अपराधियों की पहचान में भी मिलेगी मदद

नवभारत न्यूज

इंदौर, 24 अगस्त . अपराध अनुसंधान को वैज्ञानिक बनाने, घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने और पुलिस की फील्ड कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इंदौर पुलिस को आधुनिक तकनीकी उपकरणों की खेप मिली है. इनमें फिंगरप्रिंट जांच से लेकर पुलिसकर्मियों की कार्रवाई रिकॉर्ड करने वाले बॉडी वॉर्न कैमरे, निगरानी के लिए दूरबीन और ध्वनि स्तर मापने वाले उपकरण शामिल हैं.

पुलिस मुख्यालय भोपाल से मिले इन उपकरणों का सोमवार को पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह ने अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों से उपकरणों की कार्यप्रणाली और पुलिसिंग में इनके उपयोग की जानकारी ली. पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित कर्मचारियों को उपकरणों का आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए और इनका अधिकतम एवं जिम्मेदारी के साथ उपयोग सुनिश्चित किया जाए.

पुलिस को मिले उपकरणों में एक फिंगरप्रिंट ऑप्टिकल कम्पेरेटर, एक सायनोएक्रिलेट फ्यूमिंग चैम्बर, 35 फिंगरप्रिंट इनरोलमेंट डिवाइस, 188 वेब कैमरे, 35 क्यूआर कोड प्रिंटर, 60 बॉडी वॉर्न कैमरे, 140 दूरबीन और साउंड लेवल मीटर (डेसीबल मीटर) शामिल हैं.

फील्ड ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले बॉडी वॉर्न कैमरों से कार्रवाई की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी. इससे पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं, वेब कैमरे और क्यूआर कोड प्रिंटर का इस्तेमाल विभिन्न पुलिस एवं प्रशासनिक कार्यों में किया जाएगा.

आधुनिक पुलिसिंग में तकनीक का इस्तेमाल जरूरी

मीडिया से चर्चा में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आधुनिक पुलिसिंग में तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल जरूरी है . नए उपकरणों से अपराध अनुसंधान, साक्ष्य संकलन, अपराधियों की पहचान, निगरानी और फील्ड पुलिसिंग को मजबूती मिलेगी . इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) राजेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) मयंक अवस्थी, सभी पुलिस उपायुक्त, फिंगरप्रिंट जोनल उप पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे . फिंगरप्रिंट ऑप्टिकल कम्पेरेटर, सायनोएक्रिलेट फ्यूमिंग चैम्बर और फिंगरप्रिंट इनरोलमेंट डिवाइस का इस्तेमाल अपराध स्थल से मिले फिंगरप्रिंट साक्ष्यों के संकलन, परीक्षण और विश्लेषण में किया जाएगा . इससे संदिग्धों और आरोपियों की पहचान में पुलिस को तकनीकी सहायता मिलेगी .

अब शिक्षकों को देनी होगी टीईटी परीक्षा

हर विषय पर 1000 रुपये शुल्क के साथ पांच प्रश्नपत्रों की होगी परीक्षा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 24 अगस्त. मप्र कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी आधिकारिक नियम पुस्तिका के अनुसार करीब डेढ़ लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2026 से किया जाएगा.

बता दें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में स्कूल शिक्षा विभाग इस परीक्षा को आयोजित करा रहा है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 21 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है, जो 4 सितंबर 2026 तक चलेगी. लेकिन अब तक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा परीक्षा को लेकर किसी तरह की शिक्षकों की सूची जारी नहीं की गई है. जिसके कारण किन शिक्षकों को परीक्षा देनी है और किन शिक्षकों को नहीं देनी है इस विषय पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. हालांकि नए नियमों के अनुसार जिन स्थाई और नियमित शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है उन्हें यह परीक्षा देना पूरी तरह अनिवार्य किया गया है. जिन्हे 31 अगस्त 2028 तक यह परीक्षा पास करनी होगी. परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न पत्र 1000 रुपये का भारी शुल्क चुकाना पड़ रहा है. नियम पुस्तिका के अनुसार शिक्षकों को कुल 5 प्रश्नपत्र देने होंगे.

आधिकारिक सूची जारी न होने से बढ़ा असमंजस

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि विभाग द्वारा अभी तक उन पात्र शिक्षकों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है जिन्हें यह परीक्षा देनी है . जिससे शिक्षक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे इस परीक्षा के दायरे में आते हैं या नहीं . वहीं इस पूरे विषय को लेकर मप्र शिक्षक संगठन का कहना है कि 20-25 सालों से पढ़ा रहे वरिष्ठ शिक्षकों से इस उम्र में युवाओं वाले सिलेबस पर परीक्षा लेना अनुचित है .

खाद्य सुरक्षा विभाग की छापामार कार्रवाई

भिण्ड, 24 अगस्त. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भिण्ड और मिहोना क्षेत्र में होटल, ढाबों और डेयरी पर छापामार कार्रवाई की.

इस दौरान सूर्या ढाबे की रसोई में गंदगी और स्वच्छता संबंधी कमियां मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया, जबकि जयगुरुदेव भोजनालय में खाद्य लाइसेंस नहीं मिला. चार प्रतिष्ठानों से पनीर के नमूने जांच के लिए लिए गए. खाद्य सुरक्षा अधिकारी किरण सेंगर के नेतृत्व में टीम ने ग्वालियर रोड स्थित सूर्या ढाबा, जयगुरुदेव भोजनालय, विरासत होटल और खाना कंपनी की रसोई का निरीक्षण किया. टीम ने खाद्य सामग्री और रसोई की व्यवस्थाओं की जांच की तथा संबंधित प्रतिष्ठानों से पनीर के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे हैं.

निरीक्षण के दौरान सूर्या ढाबे की रसोई में स्वच्छता संबंधी कमियां और अन्य अनियमितताएं मिलीं. विभाग ने इसे खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मानते हुए सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया. जयगुरुदेव भोजनालय में खाद्य लाइसेंस नहीं मिलने पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने और खाद्य कारोबार से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

नाबालिग बेटी को 50 हजार रुपये में सौंपने का आरोप

धार. जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार खरगोन जिले की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को कथित रूप से 50 हजार रुपये के बदले धामनोद के एक व्यक्ति को सौंप दिया. आरोपी ने करीब दो महीने तक बालिका के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता उसके चंगुल से निकलकर गुजरात पहुंच गई, जहां से पुलिस ने उसे दस्तयाब कर लिया. पुलिस के अनुसार घटना 26 अप्रैल 2026 की है. आरोपी महिला सुनिताबाई पति दयाराम शिंदे, निवासी करोंदिया बुजुर्ग, खरगोन, अपनी नाबालिग बेटी को धामनोद के मिठास कॉलोनी स्थित पुरुषोत्तम पाटीदार के घर ले गई थी.

उठाए सवाल पटवारी ने की वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग

जनता के धन की एक-एक पाई करें वसूल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 24 अगस्त. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन में करीब 600 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है.

पटवारी ने कहा कि मामला महज लेखांकन की गड़बड़ी का नहीं, बल्कि जनता के धन और प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा है. उन्होंने दावा किया कि 24 सरकारी विभाग जांच के दायरे में हैं और करीब 305 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन सामने आए हैं. लगभग 400 अधिकारी-कर्मचारियों की जांच तथा करीब 380 करोड़ रुपये की राशि की वसूली लंबित होने का भी उन्होंने दावा किया.

वित्त मंत्री से इस्तीफा देने की मांग

पटवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मामले की पूरी सच्चाई सार्वजनिक कराने और जांच को किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो तथा जनता के धन की एक-एक पाई वसूल की जाए. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की. पटवारी ने राज्य के वित्त मंत्री से नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठाती रहेगी.

जांच की मांग की

उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े वित्तीय लेन-देन इतने लंबे समय तक कैसे जारी रहे. साथ ही अधिकारियों की भूमिका, प्रशासनिक चूक और किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संरक्षण की संभावनाओं की भी जांच की मांग की.

70,107 गुम हुए मोबाइल बरामद

भोपाल, 24 अगस्त . मध्यप्रदेश पुलिस ने आधुनिक तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल से वर्ष 2019 से अब तक 70,107 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को वापस लौटाए हैं. पुलिस द्वारा यह कार्रवाई दूरसंचार विभाग के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल सहित तकनीक आधारित पुलिसिंग के माध्यम से की जा रही है.

सीईआईआर पोर्टल मोबाइल उपकरणों की पहचान इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आईएमईआई) नंबर के आधार पर करता है. गुम या चोरी हुआ मोबाइल किसी नेटवर्क पर दोबारा सक्रिय होने पर सिस्टम से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस उसके उपयोग और स्थान का पता लगाने में सक्षम होती है.

पुलिस इकाइयां तकनीकी जानकारी का सत्यापन करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करती हैं और बरामद मोबाइल वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर उनके मालिकों को सौंप देती हैं. मोबाइल बरामदगी में भोपाल अर्बन 4,684 के साथ पहले स्थान पर रहा. इसके बाद ग्वालियर 4,293, मंडला 3,667, जबलपुर 3,539 और रीवा 2,784 मोबाइल की बरामदगी के साथ आगे रहे. पुलिस ने नागरिकों से मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराने तथा आईएमईआई नंबर सुरक्षित रखने की अपील की है.

एडीएम न्यायालय ने लगाया 2.65 लाख का अर्थदंड

बुरहानपुर . जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए जाने पर एडीएम न्यायालय ने 7 प्रकरणों में दो लाख 65 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60